



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01122022-240709  
CG-DL-E-01122022-240709

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 769]  
No. 769]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 1, 2022/ अग्रहायण 10, 1944  
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 1, 2022/AGRAHAYANA 10, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2022

सं. 04/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 862(अ).—वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 65ख के उपवाक्य (55), केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2017 का नियम 3, सेवा कर नियम, 1994 का नियम 3, और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 174 की उप-धारा (2) का उपवाक्य (च), के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 2 के उपवाक्य (ख) के अनुसरण में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित अधिकार क्षेत्र के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों के रूप में नियुक्त करता है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और उसके तहत बनाए गए नियमों और वित्त अधिनियम, 1994 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत ऐसे अधिकारियों को उक्त तालिका के कॉलम (4) में उल्लिखित उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट करता है।

## तालिका

क्रम संख्या	केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारी का रैंक और पदनाम	क्षेत्राधिकार	उद्देश्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर (अपील) का ऐसा कोई भी आयुक्त, जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी किए गए किसी प्रशासनिक आदेश द्वारा निम्नलिखित के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र में तैनात किया गया हो- (क) प्रधान मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर; या (ख) मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर।	अधिसूचना संख्या 13/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.) दिनांक 9 जून, 2017 में यथा-निर्दिष्ट ऐसे प्रधान मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर या मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के अधिकार क्षेत्र में।	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 35 और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 85 के तहत 30 जून, 2017 के बाद ऐसे प्रधान मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर या मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर आयुक्त (अपील) के पास दायर अपीलों, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया गया हो, के संबंध में अपीलीय आदेश पारित करने के लिए।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-240137/58/2021-सेवा कर अनुभाग-सीबीईसी]

रुबल सरोहा, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 2022

No. 04/2022-Central Excise (N.T.)

**G.S.R. 862(E).**—In pursuance of clause (b) of section 2 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with clause (55) of section 65B of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), rule 3 of the Central Excise Rules, 2017, rule 3 of the Service Tax Rules, 1994, and clause (f) of sub-section (2) of section 174 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby appoints the officers mentioned in Column (2) of the Table below as the Central Excise officers for the jurisdiction mentioned in Column (3) of the said Table and vests such officers with all powers under the Central Excise Act, 1944 and the rules made thereunder and the Finance Act, 1994 and the rules made thereunder for the purpose mentioned in Column (4) of the said Table.

TABLE

S.No.	Rank and designation of Central Excise officer	Jurisdiction	Purpose
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Any Commissioner of Central Excise and Service Tax (Appeals) who is posted vide an administrative order issued by the Central Board of Indirect Taxes and Customs in the territorial jurisdiction of a –	The jurisdiction of such Principal Chief Commissioner of Central Excise and Service Tax or Chief Commissioner of Central Excise and Service Tax as specified in Notification Number 13/2017-Central Excise (N.T.) dated 9 <sup>th</sup> June, 2017.	Passing orders in appeal with respect to appeals filed after 30 <sup>th</sup> June, 2017 under section 35 of Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and section 85 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) with the Commissioner

	(a) Principal Chief Commissioner of Central Excise and Service Tax; or (b) Chief Commissioner of Central Excise and Service Tax.		of Central Excise and Service Tax (Appeals), in the territorial jurisdiction of such Principal Chief Commissioner of Central Excise and Service Tax or Chief Commissioner of Central Excise and Service Tax, as may be assigned.
--	---	--	--

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. CBIC-240137/58/2021-Service Tax Section-CBEC]

RUBAL SAROHA, Under Secy.